सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
आश्विन 04, शुक्रवार, *शाके* 1947- सितम्बर 26, 2025 Asvina 04, Friday, Saka 1947- September 26, 2025	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

गृह (ग्रुप–9) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 25, 2025

संख्या प. 20 (2) गृह-9/202 :-यत राज्य सरकार की यह राय है कि जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (JMRCL) के समस्त कार्यालय एवं कर्मचारियों तथा उसके कार्यकलापों से संबंधित समस्त सेवाओ में हड+ताल होने से सेवाओं के प्रदाय एवं अनुरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा और उसके परिणामस्वरूप समुदाय को भारी कठिनाई का सामना करना पडेगा।

अतः अब राजस्थान अत्यावश्यक सेवाऐं अनुरक्षण अधिनियम, 1970 (1970 का अधिनियम संख्या 22) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उप-खण्ड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार तुरन्त प्रभाव से जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (JMRCL) के समस्त कार्यालय एवं कर्मचारियों तथा उसके कार्यकलापों से संबंधित समस्त सेवाओ को एतद्द्वारा दिनांक 25-09-2025 से आगामी 06 माह तक अत्यावश्यक सेवा घोषित करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

महेश कुमार शर्मा,
शासन उप सचिव।

गृह (ग्रुप–9) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 25, 2025

संख्या प. 20 (2) गृह-9/202 :-यत् राज्य सरकार ने राजस्थान अत्यावश्यक सेवाऐं अनुरक्षण अधिनियम 1970 (1970 का अधिनियम संख्या 22) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उप-खण्ड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25-09-2025 के द्वारा जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (JMRCL) के समस्त कार्यालय एवं कर्मचारियों तथा उसके कार्यकलापों से संबंधित समस्त सेवाओ को दिनांक 25-09-2025 से आगामी 06 माह तक अत्यावश्यक सेवा घोषित कर दिया है;

यत् और राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में उक्त अत्यावश्यक सेवाओं में हडताल किये जाने को प्रतिषेध किया जाना आवश्यक है;

अत: अब राजस्थान अत्यावश्यक सेवाऐं अनुरक्षण अधिनियम 1970 (1970 का अधिनियम संख्या 22) की धारा 3 की उप-धारा (1) की शक्तियों को प्रयोग करते हुये राज्य सरकार जयपुर मेट्रो रेल

कॉर्पोरेशन लिमिटेड (JMRCL) के समस्त कार्यालय एवं कर्मचारियों तथा उसके कार्यकलापों से संबंधित समस्त अत्यावश्यक सेवाओ में हड़ताल किये जाने को एतद्द्वारा दिनांक 25-09-2025 से आगामी 06 माह तक के लिये प्रतिषेध करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

महेश कुमार शर्मा,
शासन उप सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।